न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 01/2023

जीसीएमएस नम्बर : 2023/1

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. कमलादेवी पत्नी स्व. हेमाराम 2. नीरू पुत्री स्व. हेमाराम जातिगण सीरवी निवासीगण ग्राम अखावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. मीरादेवी पत्नी लालूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम अखावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. ग्राम पंचायत सिनला जरिये सरपंच तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम सोलंकी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/01/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सिनला द्वारा प्रस्ताव संख्या 38 दिनांक 24.09.2009 की पालना में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 24.09.2009 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा प्रार्थीगण के कब्जाशुदा एवं उपयोग–उपभोग बाड़ा की भूमि को सम्मिलिति करते हुये जारी किया गया तथा उक्त पट्टे की आड़ में प्रार्थीगण की भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे है। प्रश्नगत पट्टे की मिसल पर कोई नम्बर अंकित नहीं है, आदेशिका दिनांक 05.12.2008 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 का आवेदन प्राप्त हुआ जबकि पट्टे के आवेदन पर दिनांक 14.12.2009 अंकित है। आदेशिका दिनांक 20.12.2008 के अनुसार आक्षेप पत्र 1 माह का जारी करने हेतु वर्णित है परन्तु आक्षेप अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही दिनांक 05.01.2009 को ही आक्षेप प्राप्त नहीं होना वर्णित किया एवं उसके साथ आवेदन शुल्क, नक्शा फीस भी नहीं है। ग्राम पंचायत ने अपूर्ण कौरम तथा बिना प्रक्रिया अपनाये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है उसमे भी अप्रार्थी के आवेदन एवं पट्टे के पड़ौस में भिन्नता है। इसलिये विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि आबादी भूमि में हस्तगत विक्रय जारी किया गया है तथा उसी पट्टेशुदा भूमि पर अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। वर्तमान में जैर आराजी पर स्थगन आदेश दिया हुआ है इसलिये मौके पर निर्माण कार्य रूका हुआ है। जैर निगरानी पट्टे के आगे प्रार्थी की कृषि भूमि है तथा उसी भूमि की आड़ में प्रार्थी ने मेरी पट्टासुदा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। ग्राम पंचायत ने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पंचायतीराज नियमों में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिनुसार है। इसलिये प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सिनला द्वारा प्रस्ताव संख्या 38 दिनांक 24.09.2009 की पालना में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 24.09.2009 के विरूद्ध पेश की है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी किया गया है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 05.12.2008, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश जारी किये गये परन्तु पत्रावली का अमल करने पर यह भी तथ्य संज्ञान में आया कि जब अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन ही दिनांक 14.12.2009 को पेश किया गया हो तो प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित मिसल दिनांक 05.12.2008 को कैसे दर्ज हो सकती है ?

इसके अतिरिक्त आदेशिका दिनांक 20.12.2008 के अनुसार 1 माह का आक्षेप पत्र जारी किया गया जबकि अगली आदेशिका आक्षेप पत्र की समयावधि पूर्ण होने से पहले ही दिनांक 05.01.2009 को दर्ज हो गयी अर्थात् ग्राम पंचायत ने निर्धारित समयावधि (1 माह) पूर्ण होने से पूर्व ही जैर निगरानी पट्टे की आगामी कार्यवाही कर दी। आदेशिका दिनांक 05.01.2009 में तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये किन्तु केवल 2 पंचों को ही नामित किया गया तथा उक्त दोनों नाम भी प्रथमदृष्टया पश्चातवर्ती अंकित किया जाना प्रतीत होता है। प्रश्नगत पट्टे का जो नक्शा बनाया गया उस पर सायल के रूप में वार्डपंच विजयसिंह के हस्ताक्षर अंकित है, जबकि आवेदनकर्ता अप्रार्थी मीरादेवी के हस्ताक्षर ही नहीं है। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति इश्तिहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में दिनांक 20.12.2008 को जारी आपत्ति इश्तिहार पर न तो पंचायत की मोहर लगी हुई है, न ही डिस्पेच नम्बर अंकित है और न ही उक्त नोटिस का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में रिपोर्ट अथवा किसी गवाह के हस्ताक्षर अंकित है। हस्तगत प्रकरण में कब्जा सत्यापन हेतु स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये। साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं एवं प्रश्नगत आज्ञा की पालना में जारी नक्शा, भूमि निरीक्षण प्रपत्र एवं पट्टे में अंकित पड़ौस, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित पड़ौस से भिन्न है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की

अति. जिला कलेक्टर पाली

अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सिनला द्वारा प्रस्ताव संख्या 38 दिनांक 24.09.2009 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 24.09.2009 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत सिनला को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)